एलआईसी
एसआईआईपी (SIIP)
विक्रय विवरणिका

एलआईसी एसआईआईपी (UIN: 512L334V02)
(एक असहभागी, संबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत बचत योजना)

इस पॉलिसी में, निवेश पोर्टफोलियो में निवेश संबंधी जोखिम पॉलिसीधारक द्वारा उठाया जाता है।

यूनिट लिंक्ड बीमा उत्पाद अनुबंध के पहले पाँच वर्षों के दौरान कोई तरलता नहीं प्रदान करते हैं। पॉलिसीधारक पाँचवें वर्ष के अंत तक यूनिट लिंक्ड बीमा उत्पादों में निवेश की गई धनराशियों को पूरी तरह या आंशिक रूप से न तो अभ्यर्पित कर पाएँगे न ही निकाल पाएँगे।

एलआईसी का एसआईआईपी एक असहभागी, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना है जो पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमा के साथ ही बचत भी प्रदान करती है।

एलआईसी का एसआईआईपी एक असहभागी उत्पाद है और इसलिए पॉलिसी की अवधि के दौरान यह पॉलिसी अधिशेष (लाभों) में किसी भी हिस्सेदारी नहीं होगी।

आप यह योजना लाइसेंस प्राप्त अभिकर्ताओं, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, ब्रोकरों, बीमा विपणन फर्मों के साथ–साथ ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। यह योजना ऑनलाइन खरीदने के लिए, कृपया www.licindia.in पर लॉग ऑन करें।

आपको उपलब्ध चार प्रकार के निवेश फंडों में से किसी एक में प्रीमियमों का निवेश करने का विकल्प मिलता है। भुगतान की गई प्रत्येक प्रीमियम से प्रीमियम आवंटन प्रभार काटने के बाद चयनित फंड प्रकार की यूनिटें खरीदी जाएँगी। यूनिट फंड विभिन्न प्रभारों के अधीन है और यूनिटों का मूल्य शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर घट–बढ़ सकता है।

मुख्य विशेषताएँ:

- हितलाभ:
  - पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान जीवन बीमा सुरक्षा।
  - जीवन बीमा सुरक्षा के संबंध में मृत्युदर प्रभार की वापसी, जिसमें बीमांकन निर्णय के कारण पॉलिसी के अंतर्गत प्रभार्य कोई अतिरिक्त राशि और परिपक्वता तक जीवित रहने पर मृत्युदर प्रभार पर लगाए गए कर संबंधी प्रभार शामिल नहीं हैं, जैसा कि नीचे अनुच्छेद 2 (सी) में निर्दिष्ट किया गया है।
  - वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में निश्चित अभिवृद्धियों को निर्दिष्ट पॉलिसी अवधियों के अंत में यूनिट फंड में जोड़ दिए जाएँगे और

उनका यूनिट खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा।

- विकल्प चुनने की सुविधा:
  - ➢ अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार प्रीमियम निवेश करने के लिए निवेश फंड का प्रकार।
  - ➢ प्रवेश के समय आयु के अधीन वार्षिक प्रीमियम के 7 या 10 गुना के रूप में मूल बीमा राशि, जैसा कि नीचे अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट किया गया है।
  - ➢ प्रीमियम की न्यूनतम और अधिकतम सीमा, पॉलिसी अवधि और परिपक्वता आयु के अधीन देय प्रीमियम की राशि, पॉलिसी अवधि, जैसा कि नीचे अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट नियम के अनुसार होगी।
  - ➢ या तो एकमुश्त या किस्तों में मृत्यु हितलाभ के निपटान की विधि।
- तरलता आवश्यकताओं का ख्याल रखने के लिए आंशिक निकासी की अनुमति, जैसा कि नीचे अनुच्छेद 4.II में निर्दिष्ट किया गया है।
- एलआईसी का संबंद्ध दुर्घटना हितलाभ राइडर का विकल्प चुनकर बीमा सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प।

1. पात्रता की शर्तें और अन्य प्रतिबंध:

i	मूल बीमा राशि	**प्रवेश के समय आयु**	**मूल बीमा राशि**
		[30] दिन (पूर्ण) से लेकर [54] वर्ष (निकटतम जन्म दिन) तक	वार्षिक प्रीमियम की 10 गुना
		[55] वर्ष (निकटतम जन्मदिन) से लेकर [65] वर्ष (निकटतम जन्मदिन) तक	वार्षिक प्रीमियम की 7 गुना
ii	न्यूनतम प्रीमियम	**विधी/प्रीमियम भुगतान आवृत्ति**	**राशि (रूपए में)**
		वार्षिक	42,000/-
		अर्ध–वार्षिक	21,000/-
		त्रैमासिक	10,500/-
		मासिक (एनएसीएच)	3,500/-
		प्रीमियम मासिक के अलावा अन्य सभी विधियों के लिए 1,000 रूपए के गुणकों में देय होगी। मासिक (एनएसीएच) के लिए, प्रीमियम 250 रूपए के गुणकों में होगी।	

iii	अधिकतम प्रीमियम	कोई सीमा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुमत अधिकतम प्रीमियम बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीमांकन नीति के अनुसार बीमांकन निर्णय के अधीन होगी।	
iv	प्रवेश के समय न्यूनतम आयु	[30] दिन (पूर्ण)	
v	प्रवेश के समय अधिकतम आयु	**मूल बीमा राशि**	**प्रवेश के समय अधिकतम आयु**
		वार्षिक प्रीमियम की 10 गुना	[54] वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
		वार्षिक प्रीमियम की 7 गुना	[65] वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
vi	न्यूनतम पॉलिसी अवधि	10 वर्ष	
vii	अधिकतम पॉलिसी अवधि	25 वर्ष	
viii	प्रीमियम भुगतान अवधि	पॉलिसी अवधि के समान	
ix	प्रीमियम भुगतान विधि	वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/मासिक (एनएसीएच)	
x	न्यूनतम परिपक्वता आयु	[18] वर्ष (पूर्ण)	
xi	अधिकतम परिपक्वता आयु	[85] वर्ष (निकटतम जन्मदिन)	

इस योजना के अंतर्गत जोखिम आरंभ होने की तिथि:

प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम होने की स्थिति में, इस योजना के अंतर्गत जोखिम या तो पॉलिसी आरंभ होने की तिथि से 2

वर्ष पूर्ण होने पर या 8 वर्ष की आयु पूर्ण होने के साथ या उसके तुरंत बाद आने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ, जो भी पहले हो, पर आरंभ होगा। यदि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष या उससे अधिक है, तो जोखिम की स्वीकृति की तिथि, अर्थात पॉलिसी आरंभ होने की तिथि से जोखिम तुरंत आरंभ हो जाएगा।

निहित होने की तिथि:

यदि पॉलिसी किसी अवयस्क के जीवन पर जारी की जाती है, तो पॉलिसी ऐसी निहित होने की तिथि अर्थात 18 वर्ष की आयु पूरी होने के साथ या उसके तुरंत बाद आने वाली पॉलिसी की वर्षगाँठ पर स्वतः ही बीमित व्यक्ति में निहित हो जाएगी, तथा निहित होने की ऐसी तिथि को निगम और बीमित व्यक्ति के बीच अनुबंध मानी जाएगी।

2. पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ:

ए) **मृत्यु हितलाभ:** परिपक्वता की तिथि से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर (अनुग्रह अवधि के दौरान सहित), बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो, तब

जोखिम आरंभ होने की तिथि से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर: मृत्यु की सूचना दिए जाने की तिथि तक की स्थिति के अनुसार यूनिट फंड मूल्य के बराबर राशि देय होगी।

जोखिम आरंभ होने की तिथि के बाद बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर: निम्नलिखित में से अधिकतम के बराबर राशि देय होगी।

- मृत्यु की तिथि से ठीक पहले दो वर्षों की अवधि के दौरान की गई आंशिक निकासियों, यदि कोई हो, को घटाकर मूल बीमा राशि या

- मृत्यु की सूचना की तिथि तक की स्थिति के अनुसार यूनिट फंड मूल्य या

- मृत्यु की तिथि से ठीक पहले दो वर्षों की अवधि के दौरान की गई आंशिक निकासियों, यदि कोई हो, को घटाकर मृत्यु की तिथि तक प्राप्त कुल प्रीमियम का 105%।

जहाँ मूल बीमा राशि और आंशिक निकासी क्रमशः अनुच्छेद 1.(i) और अनुच्छेद 4.(II) में निर्दिष्टानुसार है।

मृत्यु की तिथि के पश्चातवर्ती वसूले गए मृत्युदर प्रभार, दुर्घटना हितलाभ प्रभार, पॉलिसी प्रशासन प्रभार और उन पर कर प्रभारों को मृत्यु की सूचना की तिथि पर उपलब्ध यूनिट फंड मूल्य में वापस जोड़ दिया जाएगा

और नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी को मृत्यु हितलाभ के साथ उसका भुगतान किया जाएगा।

मृत्यु की तिथि के बाद जोड़ी गई कोई भी निश्चित अभिवृद्धि की वसूली यूनिट फंड से की जाएगी।

पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार मृत्यु हितलाभ का या तो ऊपर वर्णनानुसार एकमुश्त या निपटान विकल्प चुना गया होने की स्थिति में किस्तों में भुगतान किया जाएगा, जैसा कि नीचे अनुच्छेद 4.IV में उल्लेख किया गया है।

बी) **परिपक्वता हितलाभ:** परिपक्वता की तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, परिपक्वता की तिथि पर यूनिट फंड मूल्य के बराबर राशि देय होगी।

सी) **मृत्युदर प्रभार की वापसी:** परिपक्वता की निर्धारित तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, बशर्ते कि पॉलिसी के अंतर्गत सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, जीवन बीमा सुरक्षा के संबंध में कटौती किए गए मृत्युदर प्रभार की कुल राशि के बराबर राशि परिपक्वता हितलाभ के साथ देय होगी। मृत्युदर प्रभार की कुल राशि में बीमांकन निर्णय और मृत्युदर प्रभार पर लगाए गए कर, यदि कोई हो, के कारण पॉलिसी के अंतर्गत प्रभार्य कोई अतिरिक्त राशि शामिल नहीं होगी। अभ्यर्पित या बंद हो गई पॉलिसी की स्थिति में मृत्युदर प्रभार की धनवापसी देय नहीं होगी।

3. निश्चित अभिवृद्धियाँ:

एक वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में निश्चित अभिवृद्धियाँ, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लेख किया गया है, पॉलिसी वर्षों की विशिष्ट अवधि पूरी होने पर यूनिट फंड में जोड़ दी जाएँगी, बशर्ते सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो और पॉलिसी चालू हो।

पॉलिसी वर्ष की समाप्ति	निश्चित अभिवृद्धियाँ (वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में)
6	5%
10	10%
15	15%
20	20%
25	25%

प्रीमियम भुगतान की सभी विधाओं के लिए 'वार्षिक प्रीमियम' या 'वार्षिकीकृत प्रीमियम' की किस्त (आवधिक) की पॉलिसी वर्ष में प्रीमियम

भुगतान की आवृत्ति से प्रीमियम की राशि गुणा करके गणना की जाएगी।

आवंटित निश्चित अभिवृद्धि को ऐसी अभिवृद्धि की तिथि तक की स्थिति के अनुसार अंतर्निहित फंड प्रकार के एनएवी के आधार पर यूनिटों की संख्या में परिवर्तित कर निश्चित अभिवृद्धियों के भुगतान की नियत तिथि पर चयनित फंड के यूनिट फंड में जमा किया जाएगा। ऐसी पॉलिसियों के लिए जो चालू नहीं हैं, लेकिन बाद में पुनर्चलित की जाती हैं, बंद होने की तिथि से लेकर पुनर्चलन की तिथि तक का निश्चित अभिवृद्धि पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि पर जमा की जाएगी।

हालाँकि, मृत्यु की तिथि के बाद जोड़ी गई किन्हीं निश्चित अभिवृद्धियों को यूनिट फंड से वसूल किया जाएगा।

ध्यान रखें: पॉलिसी न्यूनीकृत चुकता की स्थिति में होने पर निश्चित अभिवृद्धियाँ देय नहीं होंगी।

विशेष मामले जिनमें निश्चित अभिवृद्धियों को आनुपातिक आधार पर न्यूनीकृत कर दिया जाएगा:

ऐसी चालू पॉलिसी की स्थिति में जहाँ पॉलिसीधारक द्वारा अनुच्छेद 4.IV में निर्दिष्टानुसार **आंशिक निकासी** का लाभ उठाया है, आंशिक निकासी की तिथि के बाद जोड़ी जाने वाली निश्चित अभिवृद्धियों को आनुपातिक आधार पर न्यूनीकृत कर दिया जाएगा। ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत **भविष्य** के प्रत्येक **पॉलिसी वर्ष** में निश्चित अभिवृद्धियों के संशोधित दर की निम्नांकित सूत्र का उपयोग कर गणना की जाएगी:

$$\left\{ \frac{\text{(वर्ष के अंत में फंड मूल्य) से गुणित (संबंधित वर्ष के लिए लागू निश्चित अभिवृद्धियों की मूल दर)}}{\text{(वर्ष के अंत में फंड का मूल्य) में जोड़ें (कुल आंशिक निकासी(यों) की राशि)।}} \right\}$$

4. वैकल्पिक हितलाभ:

I. राइडर हितलाभ:

आपके पास एलआईसी की संबद्ध दुर्घटना मृत्यु हितलाभ राइडर (UIN: 512L334V02) का लाभ उठाने का विकल्प है।

यह राइडर पॉलिसी की किसी भी वर्षगाँठ पर, बशर्ते कि पॉलिसी की बकाया अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, लेकिन पॉलिसी की वर्षगाँठ पर या उससे पहले चुना जा सकता है, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मतिथि पर आयु 65 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ बीमा

सुरक्षा परिपक्वता की तिथि तक या पॉलिसी की वर्षगाँठ तक, जो भी पहले हो, उपलब्ध रहेगी, जिस पर बीमित व्यक्ति की आयु निकटतम जन्मदिन पर 70 वर्ष हो, बशर्ते कि पॉलिसी दुर्घटना की तिथि पर चालू हो। यदि यह राइडर चुना जाता है, तो दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि एकमुश्त देय होगी। यह राइडर बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसी के अंतर्गत अल्पवयस्क के जीवन पर उपलब्ध नहीं होगा। दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि मूल बीमा राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

उपर्युक्त राइडर के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, राइडर विवरणिका का संदर्भ लें या एलआईसी के निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

II. आंशिक निकासी:

आप निम्नांकित के अधीन पॉलिसी की पाँचवीं वर्षगाँठ के बाद किसी भी समय यूनिटों की आंशिक रूप से निकासी कर सकते हैं, बशर्ते कि आंशिक निकासी की तिथि तक सभी देय प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया हो:

i. अवयस्क होने की स्थिति में, बीमित व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो जाने पर ही आंशिक निकासी की अनुमति दी जाएगी।

ii. आंशिक निकासी निश्चित राशि के रूप में या निश्चित संख्या में यूनिटों के रूप में हो सकती है।

iii. प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के दौरान फंड के प्रतिशत के रूप में आंशिक निकासी की अधिकतम राशि निम्नानुसार होगी:

पॉलिसी वर्ष	यूनिट फंड का प्रतिशत
6 से 10	20%
11 से 15	25%
16 से 20	30%
21 से 25	35%

इस शर्त पर उपर्युक्त आंशिक निकासी की अनुमति दी जाएगी कि आंशिक निकासी की अनुमति देने के बाद शेष बची न्यूनतम राशि 3 वार्षिकीकृत प्रीमियम से कम न हो। आंशिक निकासी जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध समाप्त हो जाए, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iv. अनुच्छेद 9(ई)(iii) में निर्दिष्टानुसार यूनिट फंड मूल्य से आंशिक निकासी प्रभार काटा जाएगा।

v. आंशिक निकासी की तिथि के बाद जोड़ी जाने वाली निश्चित अभिवृद्धि

को ऊपर अनुच्छेद 3 में निर्दिष्टानुसार आनुपातिक आधार पर कम कर दिया जाएगा।

यदि आंशिक निकासी की जाती है तो निकासी की तिथि के तुरंत बाद की दो वर्ष की अवधि के लिए, मूल बीमा राशि या चुकता बीमा राशि, जो भी लागू हो, आंशिक निकासी की सीमा तक कम कर दी जाएगी। निकासी की तिथि से दो वर्ष की अवधि पूरी होने पर मूल वास्तविक बीमा राशि/चुकता बीमा राशि बहाल कर दी जाएगी।

III. अदला–बदली :

आपके पास पॉलिसी अवधि के दौरान अनुच्छेद 7 में निर्दिष्टानुसार चार फंड प्रकारों के बीच अदला–बदली करने का विकल्प है। अदला–बदली करने पर, संपूर्ण फंड मूल्य का चयनित नए फंड में परिवर्तन हो जाएगा। किसी दिए गए पॉलिसी वर्ष के दौरान, निःशुल्क 4 अदला–बदली की अनुमति होगी। बाद की अदला–बदली अनुच्छेद 9(ई)(ii) में निर्दिष्टानुसार अदला–बदली प्रभार के अधीन होगी।

IV. निपटान विकल्प:

यह किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त करने का विकल्प है। इस विकल्प का पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्ति की अल्पवयस्कता के दौरान या पॉलिसी के चालू रहने के दौरान 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति द्वारा नामित व्यक्ति को मृत्यु हितलाभ का भुगतान करने की विधि (अर्थात वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक) निर्दिष्ट करते हुए प्रयोग किया जा सकता है, जो कि मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ लिखित रूप से बीमित व्यक्ति की मृत्यु की सूचना की तिथि से 5 वर्ष से अधिक की अवधि के अन्दर होगा। तब मृत्यु दावा की राशि का उसके द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार नामित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा तथा नामित व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत यूनिट फंड मृत्यु की सूचना दिए जाने की तिथि पर विद्यमान फंड प्रकार के अनुसार निवेशित बना रहेगा।

प्रत्येक किस्त (यूनिटों की संख्या में) मृत्यु की सूचना दिए जाने की तिथि तक की स्थिति के अनुसार यूनिटों की किस्तों की कुल संख्या (अर्थात 5 वर्ष की अवधि में वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक तथा मासिक किस्तों के लिए क्रमशः 5, 10, 20 तथा 60) से विभाजित कुल संख्या होगी। प्रत्येक किस्त के संबंध में पता लगाई गई यूनिटों की संख्या को प्रत्येक किस्त में भुगतान की गई राशि पता लगाने के लिए किस्त भुगतान की

तिथि तक की स्थिति के अनुसार लागू फंड प्रकार के एनएवी से गुणा किया जाएगा। यूनिट फंड से यूनिटों को भुनाकर किस्त का भुगतान किया जाएगा। पहला भुगतान मृत्यु की सूचना की तिथि के अनुरूप किया जाएगा और उसके बाद चयनित विधि के आधार पर, अर्थात मृत्यु की सूचना की तिथि से हर महीने या तीन महीने या छह महीने या वार्षिक आधार पर, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा।

निपटान विकल्प अवधि के दौरान फंड प्रबंधन प्रभार के अलावा कोई अन्य प्रभार नहीं काटा जाएगा। निर्दिष्ट तिथि पर देय किस्त का मूल्य निवेश जोखिम के अधीन होगा, अर्थात फंड के प्रदर्शन के आधार पर एनएवी में उतार–चढ़ाव हो सकता है। निपटान अवधि के दौरान निवेश जोखिम नामांकित व्यक्ति/लाभार्थी द्वारा उठाया जाएगा। निपटान अवधि के दौरान कोई जोखिम बीमा सुरक्षा या निश्चित हितलाभ नहीं होगा।

निपटान विकल्प अवधि आरंभ होने के बाद नामांकित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, यूनिट फंड में रखी गई बकाया यूनिटों का मूल्य कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त देय होगा।

निपटान अवधि की अवधि के दौरान नामांकित व्यक्ति द्वारा आंशिक निकासी या फंड की अदला–बदली की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. प्रीमियमों का भुगतान:

आप पॉलिसी की अवधि के दौरान प्रीमियम भुगतान के लिए वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक (केवल एनएसीएच के माध्यम से) प्रीमियम भुगतान की विधि चुन सकते हैं।

प्रीमियम भुगतान की विधि आरंभ में ही चुन ली जानी चाहिए, हालाँकि प्रीमियम भुगतान की विधि में ऊपर अनुच्छेद 1 के अंतर्गत उल्लेखानुसार न्यूनतम प्रीमियम और प्रीमियम गुणकों के प्रावधानों के अधीन पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी बाद की पॉलिसी की वर्षगाँठ पर (विभिन्न प्रीमियम भुगतान विधि के बीच) बदलाव किया जा सकता है।

6. अनुग्रह अवधि:

प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिनों की और मासिक (एनएसीएच) प्रीमियम भुगतान के लिए 15 दिनों की अनुग्रह अवधि दी जाएगी।

7. फंडों का निवेश:

यूनिट फंड: आपके पास आरंभ में और अदला–बदली के समय अपने प्रीमियम का निवेश करने के लिए निम्नलिखित चार फंडों में से किसी एक

को चुनने का विकल्प होगा। प्रीमियम आवंटन प्रभार की कटौती के बाद भुगतान की गई प्रत्येक प्रीमियम का उपलब्ध चार फंड प्रकार के विकल्पों में से आपके द्वारा चयनित फंड प्रकार के अनुसार यूनिट खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा।

यूनिट फंड या तो यूनिटों की संख्या को निरस्त करने के रूप में या शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) को समायोजित कर विभिन्न अन्य प्रभारों की कटौती के अधीन होगा। शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर यूनिटों के मूल्य में उतार–चढ़ाव हो सकता है।

उपलब्ध फंडों और व्यापक रूप से उनके निवेश पैटर्न का विवरण इस प्रकार है:

फंड का प्रकार	सरकारी/ सरकारी निश्चित प्रतिभूति-यों/ कॉर्पोरेट ऋण में निवेश	अल्प-कालिक निवेश जैसे कि मुद्रा बाजार की लिखतें	सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश	उद्देश्य	जो-खिम रूप-रेखा	एस एफ आई एन
बॉन्ड फंड	60% से कम नहीं	40% से ज़्यादा नहीं	शून्य	मुख्यतः निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों में निवेश द्वारा आय संचय के माध्यम से ज़्यादा सुरक्षित और कम उतार–चढ़ाव वाले निवेश विकल्प देना।	कम जोखिम	ULIF001 24/12/ 18 LICU LIP BND512
सिक्योर्ड फंड	45% से कम नहीं और 85% से ज़्यादा नहीं	40% से ज़्यादा नहीं	15% से कम नहीं और 55% से ज़्यादा नहीं	ईक्विटी और निश्चित आय प्रतिभूतियों, दोनों में निवेश द्वारा स्थिर आमदनी प्रदान करना।	कम से मध्यम जोखिम	ULIF002 24/12/ 18 LICU LIP SEC512
बैलेंस्ड फंड	30% से कम नहीं और 70% से ज़्यादा नहीं	40% से ज़्यादा नहीं	30% से कम नहीं और 70% से ज़्यादा नहीं	ईक्विटी और निश्चित आय प्रतिभूतियों, दोनों में मिलते–जुलते अनुपात में निवेश द्वारा संतुलित आमदनी और वृद्धि प्रदान करना।	मध्यम जोखिम	ULIF003 24/12/ 18 LICU LIP BAL512
ग्रोथ फंड	20% से कम नहीं और 60% से ज़्यादा नहीं	40% से ज़्यादा नहीं	40% से कम नहीं और 80% से ज़्यादा नहीं	मुख्यतः ईक्विटी में निवेश द्वारा लंबी अवधि में पूंजी बढ़ाना	उच्च जोखिम	ULIF004 24/12/ 18 LICU LIP GRW 512

बंद पॉलिसी फंड (एसएफआईएन: ULIF001201114-LICDPFNLIF512): बंद पॉलिसी फंड का निवेश पैटर्न यूनिट फंड होगा जिसमें निम्नलिखित परिसंपत्ति श्रेणियाँ शामिल हैं:

i) मुद्रा बाजार की लिखतें: 0% से 40%

ii) सरकारी प्रतिभूतियाँ: 60% से 100%

यदि निम्नलिखित में से कोई भी फंड, जो इस उत्पाद से जुड़ा है और निगम के बोर्ड द्वारा अनुमोदित है, **आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के अनुलग्नक आईएनवी–आई के विनियमन 8 सपठित इसके अंतर्गत जारी किए गए प्रधान परिपत्र – निवेश का अनुपालन नहीं करता है,** तो पॉलिसीधारक को अन्य उपलब्ध फंड में नि:शुल्क अदला–बदली की अनुमति दी जाएगी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

1. **फंड का नाम: बॉन्ड फंड, एसएफआइएन क्रमांक: ULIF00124/12/18LICULIPBND512 (कम जोखिम)**

   निम्नलिखित फंडों के लिए नि:शुल्क अदला–बदली की अनुमति दी जाएगी:

फंड का नाम	एसएफआइएन	जोखिम स्तर
सिक्योर्ड फंड	ULIF00224/12/ 18LICULIPSEC512	कम से मध्यम जोखिम
बैलेंस्ड फंड	ULIF00324/12/ 18LICULIPBAL512	मध्यम जोखिम

2. **फंड का नाम: सिक्योर्ड फंड, एसएफआइएन क्रमांक: ULIF00224/12/-18LICULIPSEC512 (कम से मध्यम जोखिम)**

   निम्नलिखित फंडों के लिए नि:शुल्क अदला–बदली की अनुमति दी जाएगी:

फंड का नाम	एसएफआइएन	जोखिम स्तर
बॉन्ड फंड	ULIF00124/12/ 18LICULIPBND512	कम जोखिम
बैलेंस्ड फंड	ULIF00324/12/ 18LICULIPBAL512	मध्यम जोखिम

3. **फंड का नाम: बैलेंस्ड फंड, एसएफआइएन क्रमांक: ULIF00324/12/-18LICULIPBAL512 (मध्यम जोखिम)**

   निम्नलिखित फंडों के लिए नि:शुल्क अदला–बदली की अनुमति दी जाएगी:

फंड का नाम	एसएफआइएन	जोखिम स्तर
सिक्योर्ड फंड	ULIF00224/12/ 18LICULIPSEC512	कम से मध्यम जोखिम

ग्रोथ फंड	ULIF00424/12/ 18LICULIPGRW512	उच्च जोखिम

4. **फंड का नामः ग्रोथ फंड, एसएफआइएन क्रमांकः**ULIF00424/12/-18LICULIPGRW512 **(उच्च जोखिम))**

निम्नलिखित फंडों के लिए निःशुल्क अदला–बदली की अनुमति दी जाएगी:

फंड का नाम	एसएफआइएन	जोखिम स्तर
सिक्योर्ड फंड	ULIF00224/12/ 18LICULIPSEC512	कम से मध्यम जोखिम
बैलेंस्ड फंड	ULIF00324/12/ 18LICULIPBAL512	मध्यम जोखिम

फंड समापनः

हालाँकि फंड ओपन एंडेड हैं, हम आईआरडीएआई से यथोचित अनुमोदन से किसी भी विद्यमान फंड को बंद कर सकते हैं। फंड के बंद होने से कम से कम 3 महीने पहले आपको सूचित किया जाएगा। आप इन 3 महीनों के दौरान अदला–बदली प्रभारों के बिना अन्य विद्यमान फंड विकल्प में अदला–बदली कर सकते हैं। यदि इस अवधि के दौरान आप अदला–बदली नहीं करते हैं, तो निगम अदला–बदली की तिथि तक की स्थिति के अनुसार एनएवी पर विचार करते किसी अन्य फंड में यूनिट में अदला–बदली कर देगा, जिसका समान परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम प्रोफ़ाइल होगा।

8. यूनिट के मूल्य की गणना की विधिः

यूनिटों का आवंटन की तिथि पर संबंधित फंड के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर आवंटन किया जाएगा। कोई बोली–प्रस्ताव प्रसार नहीं है (यूनिटों का बोली मूल्य और प्रस्ताव मूल्य दोनों एनएवी के बराबर होगा)। एनएवी की गणना दैनिक आधार पर की जाएगी और यह प्रत्येक प्रकार के फंड के निवेश प्रदर्शन और फंड प्रबंधन प्रभार पर आधारित होगी और इसकी गणना इस प्रकार की जाएगी :

फंड निवेशित का बाजार मूल्य + वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्य – वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों, यदि कोई हो, का मूल्य

....

मूल्यांकन की तिथि पर विद्यमान यूनिटों की संख्या (यूनिटों के निर्माण/ विक्रय से पहले)

शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य के नियम (एनएवी):

i. विभिन्न लेनदेनों के लिए यूनिट्स का आवंटन और विक्रय एनएवी पर होगा जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है:

लेन-देन का प्रकार	लागू एनएवी (जहाँ लेनदेन कट-ऑफ समय से पहले प्राप्त होता है)
पहली प्राप्त प्रीमियम: ए. ऑफलाइन विक्रय की स्थिति में: जहाँ प्रीमियम प्राप्त होती है, उस स्थान पर सममूल्य पर देय स्थानीय चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से। बी. ऑनलाइन विक्रय की स्थिति में: किसी भी डिजिटल भुगतान विधि द्वारा।	जोखिम की बीमांकन स्वीकृति की तिथि अर्थात पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि की एनएवी।
एनएसीएच या किसी डिजिटल भुगतान विधि के माध्यम से प्राप्त नवीनीकरण प्रीमियम।	हमारे द्वारा निर्देश की प्राप्ति की तिथि या लेनदेन की प्राप्ति की तिथि या प्रीमियम की देय तिथि, जो भी बाद में हो, की एनएवी।
प्रीमियम प्राप्ति के स्थान पर सममूल्य पर देय स्थानीय चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त नवीनीकरण प्रीमियम।	हमारे द्वारा लिखत की प्राप्ति की तिथि या प्रीमियम की देय तिथि, जो भी बाद में हो, की एनएवी।
आंशिक निकासी, उपलब्ध फंड प्रकारों के बीच स्विचिंग या निशुल्क–अवलोकन निरस्तीकरण	ऑनलाइन या लिखित रूप से हमारे द्वारा अनुरोध प्राप्ति की तिथि की एनएवी।
अभ्यर्पण	हमारे द्वारा लिखित रूप से अभ्यर्पण अनुरोध की प्राप्ति की तिथि का एनएवी
मृत्यु दावा	मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ हमारे द्वारा लिखित रूप से मृत्यु की सूचना की प्राप्ति की तिथि की एनएवी।
पुनर्चलन	पुनर्चलन की तिथि तक की स्थिति के अनुसार एनएवी, जहाँ पुनर्चलन की तिथि बीमांकन स्वीकृति प्राप्त किए जाने के बाद सभी देय प्रीमियमों की समायोजन की तिथि है।
निपटान विकल्प	निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान की तिथि की एनएवी।
परिपक्वता हितलाभ	परिपक्वता की तिथि की एनएवी।
बंद होना	बंद होने की तिथि तक की स्थिति के अनुसार एनएवी।
समाप्ति	समाप्ति की तिथि की एनएवी।
पॉलिसी में परिवर्तन	पॉलिसी में परिवर्तन की तिथि की एनएवी।

निश्चित अभिवृद्धि	आवंटन की तिथि की एनएवी

ii. वर्तमान में, आईआरडीएआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार यह कट–ऑफ समय दोपहर 3.00 बजे है और इस संबंध में परिवर्तन आईआरडीएआई के निर्देशानुसार होंगे। नए व्यवसाय की स्थिति में एनएवी निर्धारण हेतु दोपहर 3 बजे का कट–ऑफ समय जोखिम स्वीकृति की तिथि, अर्थात पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि के संदर्भ में होगा।

iii. यदि निम्नलिखित के संबंध में लेनदेन का अनुरोध कट–ऑफ समय से पहले प्राप्त होता है:

ए) प्रीमियम संकलन हेतु निगम के किसी भी शाखा कार्यालय या अन्य अधिकृत कार्यालय में या किसी डिजिटल भुगतान विधि द्वारा या एनएसीएच के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान, या;

बी) निगम की सेवा प्रदाता शाखा द्वारा अन्य लेनदेन या;

सी) किसी भी समय जब एलआईसी के ग्राहक पोर्टल पर सेवा अनुरोधों का सफल पंजीकरण उपलब्ध कराया जाएगा।

उस दिन का समापन एनएवी लागू होगा।

iv. यदि निम्नलिखित के संबंध में लेनदेन का अनुरोध कट–ऑफ समय के बाद प्राप्त होता है:

ए) प्रीमियम संकलन हेतु निगम के किसी भी शाखा कार्यालय या अन्य अधिकृत कार्यालय में या किसी डिजिटल भुगतान विधि द्वारा या एनएसीएच के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान, या;

बी) निगम की सेवा प्रदाता शाखा द्वारा अन्य लेनदेन या;

सी) एलआईसी के ग्राहक पोर्टल पर उपलब्ध सेवा अनुरोधों का सफल पंजीकरण

अगले व्यावसायिक दिन की समापन एनएवी लागू होगी।

v. ऑफलाइन विक्रय की स्थिति में, स्थानीय/सीटीएस/स्पीड क्लियरिंग हाउस में प्रतिभागिता कर रहे बैंक पर आहरित सीटीएस 2010 चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम को ही स्वीकार किया जाएगा। उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाला चेक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. योजना के अंतर्गत प्रभार:

प्रभारों का विवरण इस प्रकार है:

ए) **प्रीमियम आवंटन प्रभार:** यह प्राप्त प्रीमियम से प्रभारों के प्रति विनियोजित प्रीमियम का प्रतिशत है। आवंटन दर के रूप में जाना जाने वाला शेष प्रीमियम का वह भाग है जिसका पॉलिसी के लिए चुने गए फंड की यूनिटें खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है।

किस्त प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में प्रीमियम आवंटन प्रभार निम्नानुसार हैं:

प्रीमियम	ऑफ़लाइन विक्रय	ऑनलाइन विक्रय
पहला वर्ष	8.00%	3%
दूसरे से पाँचवाँ वर्ष	5.50%	2%
छठा वर्ष और उसके बाद	3.00%	1%

किस्त प्रीमियम वह प्रीमियम है जिसका पॉलिसीधारक द्वारा चयनित प्रीमियम भुगतान आवृत्ति के अनुसार पॉलिसीधारक द्वारा भुगतान किया जाता है।

प्रीमियम आवंटन प्रभार की सीमा नीचे दिए गए अनुच्छेद 9.एफ के अनुसार होगी

बी) **पॉलिसी प्रशासन प्रभार:** यह प्रभार छठवें पॉलिसी वर्ष से लेकर पॉलिसी अवधि के अंत तक प्रत्येक पॉलिसी माह की शुरुआत में 150 रुपए प्रति माह की दर से लगाया जाएगा, जो 7वें वर्ष से 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता जाएगा और समतुल्य राशि के लिए यूनिटों को निरस्त कर यूनिट फंड से अधिकतम 500 रुपए प्रति माह (अर्थात 6000 रुपए प्रति वर्ष) के अधीन होगा जैसा कि नीचे अनुच्छेद 9.एफ में निर्दिष्ट किया गया है।

सी) **मृत्युदर प्रभार:** मृत्युदर प्रभार जीवन बीमा सुरक्षा की लागत है, जो आयु विशिष्ट है और यह यूनिट फंड मूल्य से उचित संख्या में यूनिटों को निरस्त कर प्रत्येक पॉलिसी माह की शुरुआत में लिया जाएगा। मासिक प्रभार वार्षिक मृत्युदर प्रभार का बारहवाँ भाग होगा। यह प्रभार जोखिमाधीन राशि पर आधारित होगा।

पॉलिसी अवधि के दौरान जोखिमाधीन राशि =

इनमें से अधिकतम

- चालू पॉलिसियों के मामले में मूल बीमा राशि या घटी हुई चुकता पॉलिसियों के मामले में चुकता बीमा राशि
- यूनिट फंड मूल्य
- प्राप्त कुल प्रीमियम के 105%

घटाकर

- यूनिट फंड मूल्य

यूनिट फंड का मूल्य दुर्घटना हितलाभ प्रभार, पॉलिसी प्रशासन प्रभार और दुर्घटना हितलाभ प्रभार पर कर प्रभार की कटौती के बाद, प्रभार की कटौती की तिथि पर लिया जाएगा। मृत्युदर प्रभार कटौती की तिथि पर मूल बीमा राशि/चुकता बीमा राशि, जो भी लागू हो, यूनिट फंड मूल्य से अधिक होने पर ही काटा जाएगा। प्राप्त कुल प्रीमियम की गणना मृत्युदर प्रभार की कटौती की तिथि के अनुसार की जाएगी।

आंशिक निकासी की स्थिति में, मूल बीमा राशि या चुकता बीमा राशि, जो भी लागू हो और प्राप्त कुल प्रीमियम का 105% मृत्युदर प्रभार की कटौती की तिथि से ठीक पहले की दो वर्ष की अवधि के दौरान की गई सभी आंशिक निकासियों की सीमा तक कम हो जाएगा।

स्वस्थ जीवन के संबंध में कुछ आयु वर्गों के लिए जोखिमाधीन प्रति रु. 1000/– की राशि पर प्रति वर्ष मृत्युदर प्रभार की दर निम्नानुसार है:

आयु	25	35	45	50	60
₹	1.26	1.62	3.48	5.99	15.07

ऐसे मामले में जहाँ पॉलिसी को न्यूनकृत चुकता पॉलिसी में परिवर्तित कर दिया जाता है, चुकता पॉलिसी के अंतर्गत जोखिमाधीन राशि के संबंध में मृत्युदर प्रभार की पहली भुगतान न की गई प्रीमियम की देय तिथि के बाद पड़ने वाले पॉलिसी माह से कटौती की जाएगी। पॉलिसी के पुनर्चलन पर, पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम बीमा सुरक्षा तुरंत बहाल हो जाएगी और चालू पॉलिसी के अंतर्गत जोखिमाधीन राशि के संबंध में मृत्युदर प्रभार की पुनर्चलन की तिथि के बाद पड़ने वाले पॉलिसी माह से पुनर्चलन की तिथि से लेकर पुनर्चलन की तिथि के बाद पड़ने वाले पॉलिसी माह तक की अवधि के लिए आनुपातिक मृत्युदर प्रभार के साथ कटौती की जाएगी।

डी) दुर्घटना हितलाभ प्रभार (यदि एलआईसी का संबद्ध दुर्घटना मृत्यु हितलाभ राइडर (चुना जाता है):

दुर्घटना हितलाभ प्रभार एलआईसी के संबद्ध दुर्घटना मृत्यु हितलाभ राइडर, यदि चुना जाता है, की लागत है। यह प्रभार पॉलिसी चालू रहने के दौरान यूनिट फंड मूल्य में से यथोचित संख्या में यूनिटों को निरस्त कर प्रत्येक पॉलिसी माह की शुरुआत में लिया जाएगा (अर्थात सभी देय प्रीमियम का भुगतान किया गया हो) और यह प्रति पॉलिसी वर्ष 0.40 रूपए प्रति हजार दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि की दर से होगा। यदि बीमित व्यक्ति अर्धसैनिक बलों के अलावा किसी अन्य पुलिस संगठन में पुलिस ड्यूटी में है और पुलिस ड्यूटी में रहते हुए इस बीमा सुरक्षा का विकल्प

चुनता है, तो समस्तर वार्षिक प्रभार प्रति पॉलिसी वर्ष 0.80 रूपए प्रति हजार दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि की दर से होगा। मासिक प्रभार वार्षिक दुर्घटना हितलाभ प्रभार का बारहवाँ भाग होगा।

ई) **अन्य प्रभार: पॉलिसी की अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रभारों की कटौती की जाएगी:**

i) **फंड प्रबंधन प्रभार** – यह परिसंपत्तियों के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाने वाला प्रभार है और शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य को समायोजित कर विनियोजित किया जाएगा। फंड प्रबंधन प्रभार (एफएमसी) निम्नानुसार होगा:

- चालू पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध चार फंड के प्रकारों यानि कि बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस्ड फंड और ग्रोथ फंड के लिए युनिट फंड का 1.35% प्रतिवर्ष।
- बंद पॉलिसी फंड के लिए यूनिट फंड का 0.50% प्रतिवर्ष।

यह एनएवी की गणना करते समय लगाया जाने वाला प्रभार है, जो दैनिक आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार घोषित एनएवी शुद्ध एफएमसी होगा।

ii) **अदला–बदली प्रभार** – यह उत्पाद के भीतर उपलब्ध एक अलग फंड से दूसरे फंड में अदला–बदली करने पर लगाया जाने वाला प्रभार है। यह प्रति अदला–बदली प्रभार, यदि कोई हो, अदला–बदली करने के समय लगाया जाएगा। किसी दिए गए पॉलिसी वर्ष के दौरान निःशुल्क 4 अदला–बदली की अनुमति दी जाएगी। उक्त वर्ष में बाद की अदला–बदली पर 100 रूपए प्रति अदला–बदली का अदला–बदली प्रभार लगाया जाएगा। यह प्रभार यूनिट फंड मूल्य में से यथोचित संख्या में यूनिटों को निरस्त कर वसूल किया जाएगा।

iii) **आंशिक निकासी प्रभार** – यह अनुबंध अवधि के दौरान फंड की प्रत्येक आंशिक निकासी के समय यूनिट फंड पर लगाया जाने वाला प्रभार है। आंशिक निकासी की तिथि पर यूनिट फंड मूल्य में से यथोचित संख्या में यूनिटों को निरस्त कर 100 रूपए की एक निश्चित राशि काट ली जाएगी।

iv) **बंद होने का प्रभार** – यह पॉलिसी बंद होने की तिथि पर यूनिट फंड मूल्य में से यथोचित संख्या में यूनिटों को निरस्त कर लगाया जाने वाला प्रभार है। बंद होने का प्रभार इस प्रकार है:

जहाँ पॉलिसी वर्ष के दौरान पॉलिसी बंद कर दी जाती है	रू. 50,000 तक वार्षिक प्रीमियम वाली पॉलिसियों के लिए बंद होने का प्रभार	रू. 50,000 से अधिक वार्षिक प्रीमियम वाली पॉलिसियों के लिए बंद होने का प्रभार
1	अधिकतम 3,000/– रूपए के अधीन 20%* (एपी या एफवी) में से कम	अधिकतम 6000/– रूपए के अधीन 6%* (एपी या एफवी) में से कम
2	अधिकतम 2,000/– रूपए के अधीन 15%* (एपी या एफवी) में से कम	अधिकतम 5000/– रूपए के अधीन 4%* (एपी या एफवी) में से कम
3	अधिकतम 1,500/– रूपए के अधीन 10%* (एपी या एफवी) में से कम	अधिकतम 4000/– रूपए के अधीन 3%* (एपी या एफवी) में से कम
4	अधिकतम 1,000/– रूपए के अधीन 5%* (एपी या एफवी) में से कम	अधिकतम 2000/– रूपए के अधीन 2%* (एपी या एफवी) में से कम
5 और उसके बाद	शून्य	शून्य

जहाँ

एपी – वार्षिक प्रीमियम

एफवी – पॉलिसी बंद होने की तिथि तक की स्थिति के अनुसार यूनिट फंड मूल्य

''**पॉलिसी बंद होने की तिथि**'' वह तिथि होगी जिस दिन बीमित व्यक्ति/पॉलिसीधारक से पॉलिसी के अभ्यर्पण के संबंध में सूचना मिलती है या अनुग्रह अवधि की समाप्ति की तिथि होगी (अनुग्रह अवधि के दौरान देय संविदात्मक प्रीमियम का भुगतान न करने की स्थिति में), जो भी पहले हो।

v) **कर प्रभारः** कर प्रभार, यदि कोई हो,

इस संबंध में समय–समय पर भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा जारी प्रचलित कर कानूनों/अधिसूचना आदि के अनुसार पॉलिसीधारक के संदर्भ के बिना इस योजना पर लागू सभी या किन्हीं प्रभारों पर कर की दर पर लगाया जाएगा।

vi) **विविध प्रभारः** यह अनुबंध के दौरान किसी भी परिवर्तन के लिए लगाया जाने वाला प्रभार है, जैसे कि पॉलिसी जारी होने के बाद प्रीमियम की विधि और दुर्घटना हितलाभ राइडर के अनुदान में बदलाव, और रु.100/– की एक निश्चित राशि होगी जो यूनिट फंड मूल्य में से यथोचित संख्या में यूनिट्स रद्द कर काटा जाएगा और

कटौती पॉलिसी में परिवर्तन की तिथि पर की जाएगी।

निगम पॉलिसी में कोई परिवर्तन स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। परिवर्तन निगम द्वारा अनुमोदित और स्वीकार किए जाने के बाद ही परिवर्तन के साथ या उसके बाद आने वाली पॉलिसी की वर्षगाँठ से प्रभावी होगा और पॉलिसीधारक को विशेष रूप से लिखित रूप से सूचित किया जाएगा।

एफ) **प्रभारों में संशोधन करने का अधिकार:** निगम मृत्यु और दुर्घटना हितलाभ प्रभार को छोड़कर उपरोक्त सभी या किन्हीं प्रभारों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्रभार में संशोधन पॉलिसीधारकों को 3 महीने का नोटिस देने के बाद यथोचित अनुमोदन के साथ भावी प्रभाव से किया जाएगा, जिसे हमारी वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

यद्यपि प्रभार समीक्षा योग्य हैं, फिर भी प्रभार समय–समय पर आईआरडीएआई द्वारा घोषित अधिकतम प्रभारों के अधीन होंगे। प्रभारों पर वर्तमान सीमा निम्नानुसार है:

- प्रीमियम आवंटन प्रभार किसी भी वर्ष में वार्षिकीकृत प्रीमियम के 12.5% से अधिक नहीं होगा।
- पॉलिसी प्रशासन प्रभार रू. 500 प्रति माह से अधिक नहीं होगा।
- फंड प्रबंधन प्रभार आईआरडीएआई द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगा जो वर्तमान में अनुच्छेद 9.(डी) के समान है।
- आंशिक निकासी प्रभार प्रत्येक निकासी पर रू. 500/– से अधिक नहीं होगा।
- बदलाव करने का प्रभार प्रति बदलाव रु. 500/– से अधिक नहीं होगा।
- बंद होने के प्रभार आईआरडीएआई द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होंगे, जो वर्तमान में अनुच्छेद 8.डी.iv के अंतर्गत निर्दिष्टानुसार प्रभारों के समान हैं।
- विविध प्रभार हर बार परिवर्तन का अनुरोध करने पर 500/– से अधिक नहीं होगा।

यदि आप प्रभारों में संशोधन से सहमत नहीं हैं तो आपके पास यूनिट फंड मूल्य निकाल लेने का विकल्प होगा। यदि प्रभारों में इस तरह का संशोधन 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के दौरान किया जाता है, तो 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि समाप्त होने के बाद ही निकासी की अनुमति दी जाएगी।

10. अभ्यर्पण:

पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी का अभ्यर्पण किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्पण मूल्य होगा, तो उसका निम्नानुसार भुगतान किया जाएगा:

यदि पॉलिसी का 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के दौरान अभ्यर्पण किया जाता है:

यदि आप 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के दौरान पॉलिसी के अभ्यर्पण के लिए आवेदन करते हैं, तो लागू बंद होने के प्रभार की कटौती करने के बाद यूनिट फंड मूल्य मौद्रिक पदों में परिवर्तित किया जाएगा जैसा कि नीचे अनुच्छेद 12.ए में निर्दिष्ट किया गया है। यह मौद्रिक राशि बंद पॉलिसी फंड में अंतरित कर दी जाएगी जैसा कि नीचे अनुच्छेद 12.बी में निर्दिष्ट किया गया है।

पॉलिसी लॉक–इन अवधि के अंत तक बंद पॉलिसी फंड में निवेशित बनी रहेगी। इस फंड से अनुच्छेद 9.ई.आई में निर्दिष्टानुसार केवल फंड प्रबंधन प्रभार (एफएमसी) काटा जाएगा और इस अवधि के दौरान ऐसी पॉलिसी पर कोई जोखिम बीमा सुरक्षा (राइडर बीमा सुरक्षा, यदि कोई हो, सहित) उपलब्ध नहीं होगी।

लॉक–इन अवधि की समाप्ति की तिथि पर पॉलिसी के संबंध में बंद पॉलिसी फंड की आय, लॉक–इन अवधि के अंत में देय होगी और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

अभ्यर्पण की तिथि के बाद लेकिन 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि की समाप्ति से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, पॉलिसी के संबंध में बंद पॉलिसी फंड की आय तुरंत नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

यदि पॉलिसी का 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के बाद अभ्यर्पण किया जाता है: यदि आप लॉक–इन अवधि के बाद पॉलिसी के अभ्यर्पण के लिए आवेदन करते हैं, तो अभ्यर्पण की सूचना की तिथि के अनुसार यूनिट फंड मूल्य पॉलिसीधारक को देय होगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। पॉलिसी के अंतर्गत कोई बंद होने का प्रभार नहीं होगा।

इसके अलावा, यहाँ तक कि 5 साल की लॉक–इन अवधि के दौरान भी पॉलिसीधारक से पॉलिसी चालू करने का अनुरोध मिलने के बावजूद अभ्यर्पित पॉलिसी की चालू करने अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. प्रीमियम बंद होना:

यदि आप अनुग्रह अवधि की समाप्ति से पहले पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो पॉलिसी समाप्ति की अवस्था में आ जाएगी।

अनुग्रह अवधि के दौरान पॉलिसी को चालू माना जाएगा और अन्य लागू प्रभारों के अलावा मृत्यु और दुर्घटना हितलाभ बीमा सुरक्षा के लिए प्रभार, यदि कोई हो, काटा जाएगा।

अनुग्रह अवधि के दौरान पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ, आंशिक निकासी को छोड़कर, किसी चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभों के भांति होंगे जिसकी अनुमति नहीं दी जाएगी यदि सभी देय प्रीमियमों का भुगतान नहीं किया गया होगा।

बंद पॉलिसी से इस प्रकार व्यवहार किया जाएगा:

I) यदि पॉलिसी 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के दौरान समाप्त की जाती है

अनुग्रह अवधि की समाप्ति पर, अनुच्छेद 9.ई.IV में निर्दिष्टानुसार लागू समाप्ति प्रभार की कटौती करने के बाद यूनिट फंड मूल्य अनुच्छेद 12.ए में निर्दिष्टानुसार मौद्रिक पदों में परिवर्तित किया जाएगा। यह मौद्रिक राशि बंद पॉलिसी फंड में अंतरित कर दी जाएगी जैसा कि नीचे अनुच्छेद 12.बी में निर्दिष्ट किया गया है और जोखिम बीमा सुरक्षा और राइडर बीमा सुरक्षा, यदि कोई हो, समाप्त हो जाएगी। बंद पॉलिसी फंड से प्रति वर्ष केवल 50 आधार अंकों का फंड प्रबंधन प्रभार काटा जाएगा।

ऐसे समाप्ति पर, पॉलिसीधारक को पहली भुगतान न की गई प्रीमियम की तिथि से तीन महीने के भीतर सूचना भेजी जाएगी, जिसमें पॉलिसी की स्थिति और पहली भुगतान न की गई प्रीमियम की तिथि से तीन वर्ष की पुनर्चलन अवधि के दौरान उपलब्ध पुनर्चलित करने के विकल्प के बारे में बताया जाएगा।

ऐसे मामलों में

ए. यदि आप पुनर्चलित करने का विकल्प चुनते हैं और उसके बाद 3 वर्षों की पुनर्चलन अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी को पुनर्चलित करने का विकल्प चुनते हैं, तो पॉलिसी को नीचे अनुच्छेद 13 iii में निर्दिष्टानुसार पुनर्चलित कर दिया जाएगा।

बी. यदि आप पुनर्चलित करने का विकल्प चुनते हैं, लेकिन 3 वर्ष की पुनर्चलन अवधि के दौरान पॉलिसी को पुनर्चलित नहीं करते हैं, तो

अनुच्छेद 12.सी में निर्दिष्टानुसार पॉलिसी के संबंध में बंद पॉलिसी फंड की आय, पुनर्चलन अवधि या लॉक-इन अवधि, जो भी बाद में हो, के अंत में आपको देय होगी और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। लॉक-इन अवधि के बाद समाप्त होने वाली पुनर्चलन अवधि के संबंध में, पॉलिसी पुनर्चलन अवधि के अंत तक बंद पॉलिसी फंड में बनी रहेगी।

सी. यदि आप पॉलिसी को पुनर्चलित करने का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो पॉलिसी बिना किसी जोखिम बीमा सुरक्षा और राइडर बीमा सुरक्षा, यदि कोई हो, के जारी रहेगी और पॉलिसी फंड बंद पॉलिसी फंड में निवेशित बना रहेगा। नीचे अनुच्छेद 12सी में निर्दिष्टानुसार लॉक-इन अवधि की समाप्ति की तिथि पर पॉलिसी के संबंध में बंद पॉलिसी फंड की आय आपको लॉक-इन अवधि के अंत में भुगतान की जाएगी और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

डी. हालांकि, आपके पास किसी भी समय पॉलिसी का अभ्यर्पण करने का विकल्प है और अनुच्छेद 12सी में निर्दिष्टानुसार लॉक-इन अवधि की समाप्ति की तिथि पर या अभ्यर्पण की तिथि पर पॉलिसी के संबंध में बंद पॉलिसी फंड की आय आपको लॉक-इन अवधि के अंत में या अभ्यर्पण की तिथि पर जो भी बाद में हो, देय होगी और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

ऊपर जो कुछ भी बताया गया है, उसके बावजूद, यदि बीमित व्यक्ति की पुनर्चलन अवधि या 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि, जैसा भी मामला हो, के दौरान मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की सूचना की तिथि के अनुसार पॉलिसी की बंद पॉलिसी फंड की आय, नीचे अनुच्छेद 12सी के अनुसार, नामित व्यक्ति या लाभार्थी को तुरंत देय होगी।

II) यदि पॉलिसी को 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि की समाप्ति के बाद बंद किया जाता है:

प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण पॉलिसी बंद होने की स्थिति में, अनुग्रह अवधि समाप्त होने पर, पॉलिसी न्यूनीकृत चुकता पॉलिसी में परिवर्तित हो जाएगी। पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि को कम करके ऐसी राशि बना दिया जाएगा जिसे चुकता बीमा राशि कहा जाता है और {यह पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार देय प्रीमियमों की मूल संख्या से भुगतान की गई प्रीमियमों की कुल संख्या के अनुपात से गुणा की गई मूल बीमा राशि के बराबर होगी}। पॉलिसी बिना राइडर बीमा सुरक्षा, यदि कोई हो, के न्यूनकृत चुकता स्थिति में बनी रहेगी अर्थात न्यूनकृत चुकता पॉलिसी के अंतर्गत कोई दुर्घटना हितलाभ बीमा सुरक्षा

उपलब्ध नहीं होगी। न्यूनकृत जोखिम बीमा सुरक्षा और इसलिए चुकता पॉलिसी के संबंध में मृत्युदर प्रभार पहली भुगतान न की गई प्रीमियम की तिथि के बाद आने वाले पॉलिसी माह से लागू होगा। इसके अलावा, ऊपर अनुच्छेद 9. ई में निर्दिष्टानुसार सभी अन्य प्रभारों (दुर्घटना हितलाभ प्रभार को छोड़कर) भी कटौती की जाती रहेगी।

ऐसे समाप्ति पर, पॉलिसीधारक को पहली भुगतान न की गई प्रीमियम की तिथि से तीन महीने के भीतर सूचना भेजी जाएगी, जिसमें पॉलिसी की स्थिति और पहली भुगतान न की गई प्रीमियम की तिथि से तीन वर्ष की पुनर्चलन अवधि के भीतर या परिपक्वता की तिथि तक, जो भी पहले हो, (ए) पॉलिसी (राइडर के साथ, यदि चुना गया हो) को पुनर्चलित करने; या (बी) पॉलिसी को पूरी तरह से वापस लेने के विकल्प के बारे में बताया जाएगा।

इस तरह की स्थिति में, निम्नलिखित स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं:

ए. यदि आप पुनर्चलित करने का विकल्प चुनते हैं और उसके बाद पुनर्चलन अवधि के दौरान या परिपक्वता की तिथि तक, जो भी पहले हो, किसी भी समय पॉलिसी को पुनर्चलित करने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, तो पॉलिसी को नीचे दिए गए अनुच्छेद 14 (iii) के अनुसार पुनर्चलित कर दिया जाएगा।

बी. यदि आप पुनर्चलित करने का विकल्प चुनते हैं, लेकिन पुनर्चलन अवधि के भीतर या परिपक्वता की तिथि तक, जो भी पहले हो, पॉलिसी को पुनर्चलित नहीं करते हैं, या कोई विकल्प नहीं चुनते हैं, तो पॉलिसी पुनर्चलन अवधि के अंत तक या परिपक्वता की तिथि तक, जो भी पहले हो, एक न्यूनकृत चुकता पॉलिसी के रूप में बनी रहेगी।

   ऐसे मामले में, पुनर्चलन अवधि की समाप्ति की तिथि या परिपक्वता की तिथि, जो भी पहले हो, के अनुसार यूनिट फंड मूल्य, पुनर्चलन अवधि के अंत में या परिपक्वता की तिथि, जो भी पहले हो, पर देय होगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

सी. यदि आप किसी भी समय पूर्ण निकासी या पॉलिसी अभ्यर्पित करने का विकल्प चुनते हैं, तो ऐसी स्थिति में यूनिट फंड मूल्य में पड़ी राशि आपको वापस कर दी जाएगी और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

डी. पुनर्चलन अवधि की समाप्ति या परिपक्वता की तिथि, जो भी पहले हो, से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, निम्नलिखित में से जो भी अधिकतम होगा, वह देय होगा:

- बीमित व्यक्ति की मृत्यु से तुरंत पहले की दो वर्ष की अवधि के दौरान की गई आंशिक निकासी, यदि कोई हो, को घटाकर चुकता बीमा राशि (आंशिक निकासी को ऊपर अनुच्छेद 4.II में परिभाषित किया गया है); या

- मृत्यु की सूचना की तिथि पर यूनिट फंड मूल्य; या

- कुल प्रीमियम का 105%, जिसमें से बीमित व्यक्ति की मृत्यु से ठीक पहले की दो वर्ष की अवधि के दौरान की गई आंशिक निकासी घटा दी जाएगी।

12. बंद पॉलिसी फंड में पॉलिसी की धनराशि पड़ी रहने के दौरान पॉलिसी से व्यवहार

यदि 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि पर या उससे पहले पॉलिसी अभ्यर्पित या बंद कर दी जाती है, तो पॉलिसी की धनराशि निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजरेगी:

ए. यूनिट फंड मूल्य का मौद्रिक राशि में रूपांतरण:

बंद होने की तिथि अर्थात अभ्यर्पण के लिए आवेदन की तिथि (यदि 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के दौरान अभ्यर्पण किया जाता है) या अनुग्रह अवधि की समाप्ति की तिथि तक की एनएवी, जिसे उक्त तिथि पर यूनिट फंड में यूनिटों की संख्या से गुणा किया जाएगा (अर्थात बंद होने के प्रभार, यदि कोई हो, की कटौती के बाद), मौद्रिक राशि होगी।

बी. बंद पॉलिसी फंड में मौद्रिक राशि का अंतरण:

उपरोक्त (ए) के अंतर्गत गणना की गई मौद्रिक राशि को यूनिटों में परिवर्तित कर बंद पॉलिसी फंड में अंतरित कर दिया जाएगा। अंतरण की तिथि तक बंद पॉलिसी फंड की एनएवी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी में बंद पॉलिसी फंड की यूनिटों की संख्या को आवंटित किया जाएगा।

सी. बंद पॉलिसी फंड की आय की गणना:

बंद पॉलिसी फंड (एसएफआईएन:ULIF001201114LICDPFNLIF512) एक अलग यूनिट फंड है और यह यूनिट लिंक्ड जीवन बीमा योजना के अंतर्गत पेश की गई सभी पॉलिसियों के सभी बंद पॉलिसी फंड से मिलकर बनता है। इस फंड पर केवल फंड प्रबंधन प्रभार (एफएमसी) लागू होगा, जैसा कि अनुच्छेद 9. ई. (1) में निर्दिष्ट किया गया है।

पॉलिसी के संबंध में बंद पॉलिसी फंड की आय बंद पॉलिसी फंड के यूनिट फंड मूल्य या निश्चित मौद्रिक राशि में से अधिक होगी।

जहाँ, बंद पॉलिसी फंड से पॉलिसी के बाहर निकलने की तिथि तक बंद पॉलिसी फंड की यूनिटों की संख्या से एनएवी को गुणा कर यूनिट फंड मूल्य की गणना की जाएगी।

निश्चित मौद्रिक राशि, निश्चित ब्याज दर पर बंद पॉलिसी फंड में अंतरित मौद्रिक राशि का संचय है। निश्चित ब्याज दर बंद पॉलिसी फंड में मौद्रिक राशि अंतरित किए जाने की तिथि से बंद पॉलिसी फंड से या तो मृत्यु, अभ्यर्पण, पुनर्चलन, 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि की समाप्ति या 3 वर्ष की पुनर्चलन अवधि (यदि पुनर्चलन अवधि 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि से आगे बढ़ती है) पूरी होने पर, जो भी लागू हो, पॉलिसी की समाप्ति पर पॉलिसी बाहर निकलने पर उपार्जित होगी। वर्तमान में यह निश्चित ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है और समय–समय पर परिवर्तन के अधीन है जैसा कि आईआरडीएआई द्वारा घोषित की जाएगी।

13. अनिवार्य समाप्तिः

यदि पॉलिसी कम से कम 5 वर्षों तक चली है, बशर्ते कि 5 पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो और यूनिट फंड में शेष राशि संबंधित प्रभारों को वसूलने के लिए पर्याप्त न हो, तो पॉलिसी को अनिवार्य रूप से समाप्त कर दिया जाएगा और यूनिट फंड में पड़ी शेष राशि, यदि कोई हो, पॉलिसीधारक को वापस कर दी जाएगी। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि पॉलिसी पुनर्चलन अवधि के दौरान चालू है या चुकता है, यह लागू होगा।

14. अन्य विशेषताएँ:

i) **टॉप-अप :** इस योजना के अंतर्गत किसी टॉप–अप की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii) **जोखिम बीमा सुरक्षा में वृद्धि/कमी :**

इस योजना के अंतर्गत मूल बीमा राशि में किसी वृद्धि/कमी की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि चालू पॉलिसी के अंतर्गत, पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय एलआईसी के संबंद्ध दुर्घटना मृत्यु हितलाभ राइडर को निरस्त किया जा सकता है। हालाँकि, एक बार राइडर निरस्त हो जाने के बाद, बाद में चालू नहीं किया जा सकता है।

iii) **बंद पॉलिसियों का पुनर्चलनः**

ए. लॉक–इन अवधि के दौरान बंद पॉलिसी का पुनर्चलन:

यदि पॉलिसीधारक द्वारा पुनर्चलन अवधि के दौरान पॉलिसी को पुनर्चलित करने का विकल्प चुना जाता है, तो निम्नलिखित के अधीन पॉलिसी को पुनर्चलित कर दिया जाएगा:

ए. ब्याज के बिना सभी देय और भुगतान न की गई प्रीमियम का भुगतान करने पर। बंद होने की तिथि से सभी बकाया लागू प्रीमियम आवंटन प्रभारों और उस पर कर प्रभारों को यूनिट फंड से काट लिया जाएगा।

बी. पॉलिसी बंद होने के समय यूनिट फंड से काटे गए बंद होने के प्रभार, यदि कोई हो, को पॉलिसी के बंद पॉलिसी फंड की आय, यदि कोई हो, के साथ यूनिट फंड में वापस जोड़ दिया जाएगा।

बी. लॉक–इन अवधि के बाद बंद पॉलिसी का पुनर्चलन:

यदि पॉलिसीधारक द्वारा पुनर्चलन अवधि के दौरान या परिपक्वता की तिथि तक, जो भी पहले हो, पॉलिसी को पुनर्चलित करने का विकल्प चुना जाता है, तो पॉलिसी को निम्नलिखित के अधीन पुनर्चलित कर दिया जाएगा:

ए. ब्याज के बिना सभी देय और भुगतान न की गई प्रीमियम का भुगतान करने पर।

बी. बंद होने की तिथि से देय सभी बकाया लागू प्रीमियम आवंटन प्रभारों, पॉलिसी प्रशासन प्रभारों और और उन पर कर प्रभारों को यूनिट फंड से काट लिया जाएगा।

निगम बंद पॉलिसी के पुनर्चलन को निगम की जोखिमांकन नीति के अनुसार मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। पुनर्चलन पहले से उपलब्ध सूचना, दस्तावेजों और रिपोर्टों और इस संबंध में पॉलिसीधारक/प्रस्तावक/बीमित व्यक्ति द्वारा ऐसी अतिरिक्त सूचना प्रदान किए जाने के आधार पर बीमित व्यक्ति की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि के अधीन होगा, जैसा कि पुनर्चलन के समय निगम की बीमांकन नीति के अनुसार माँगी जा सकती है। बंद पॉलिसी का पुनर्चलन निगम द्वारा अनुमोदित, स्वीकार और पुनर्चलन रसीद जारी किए जाने के बाद ही प्रभावी होगा।

पुनर्चलन की तिथि तक एनएवी के आधार पर पॉलिसीधारक द्वारा

मूल रूप से चुने गए या अंतिम अदला–बदली में चुने गए अलग फंड या पुनर्चलन के समय चुने गए फंड, जैसा भी मामला हो, की यूनिटों को आवंटित किया जाएगा।

बंद होने की तिथि से लेकर पुनर्चलन की तिथि तक निश्चित अभिवृद्धियों को पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि पर जमा किया जाएगा।

ऊपर जो कुछ भी कहा गया है, उसके बावजूद, यदि पुनर्चलन अवधि के दौरान यूनिट फंड मूल्य प्रभार वसूलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, तो पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद पुनर्चलन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एलआईसी के संबंद्ध दुर्घटना मृत्यु हितलाभ राइडर, यदि चुना जाता है, को मूल पॉलिसी के साथ पुनर्चलित किया जा सकता है, अलग से नहीं।

15. पुनर्स्थापन:

5 वर्ष की लॉक इन अवधि के दौरान पॉलिसीधारक से पुनर्स्थापन का अनुरोध मिलने पर भी अभ्यर्पण की गई पॉलिसी के पुनर्स्थापन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. जोखिम कारक और अस्वीकरण:

i) एलआईसी का एसआईआईपी पारंपरिक बीमा उत्पादों से अलग एक यूनिट लिंक्ड जीवन बीमा उत्पाद है।

ii) यूनिट लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसियों में भुगतान की गई प्रीमियमें पूँजी बाजार से जुड़े निवेश जोखिमों के अधीन होती हैं और फंड के प्रदर्शन और पूँजी बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर यूनिटों का एनएवी घट या बढ़ या सकता है और बीमाधारक अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है।

iii) भारतीय जीवन बीमा निगम केवल बीमा कंपनी का नाम है और एलआईसी का एसआईआईपी केवल यूनिट लिंक्ड जीवन बीमा अनुबंध का नाम है और यह किसी भी तरह से अनुबंध की गुणवत्ता, उसकी भविष्य की संभावनाओं या प्रतिफल को नहीं दर्शाता है।

iv) कृपया अपने बीमा अभिकर्ता या मध्यस्थ या बीमाकर्ता के पॉलिसी दस्तावेज़ से संबंधित जोखिमों और लागू प्रभारों के बारे में जान लें।

v) अनुशंसा की जाती है कि खरीदने से पहले आप यह विवरणिका और

अनुकूलित हितलाभ उदाहरण को पढ़कर समझ लें कि यह योजना क्या है, यह कैसे काम करती है और इसमें क्या जोखिम शामिल हैं।

vi) इस अनुबंध के अंतर्गत पेश किए गए विभिन्न फंड प्रकार, फंडों के नाम हैं और किसी भी तरह से इन योजनाओं की गुणवत्ता, उनकी भविष्य की संभावनाओं और प्रतिफल को नहीं दर्शाते हैं।

vii) पॉलिसी के अंतर्गत सभी हितलाभ समय-समय पर लागू कर कानूनों और अन्य वित्तीय अधिनियमों के अधीन हैं।

viii) आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित प्रपत्र डी02 में अपनी पॉलिसी के अंतर्गत यूनिटों का वास्तविक मूल्य निगम की वेबसाइट (www.licindia.in) पर उपलब्ध एलआईसी के ग्राहक पोर्टल पर सुरक्षित लॉगिन कर देखा जा सकता है।

17. पॉलिसी में परिवर्तन:

अनुबंध के दौरान, योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार न्यूनतम प्रीमियम और प्रीमियम गुणकों के प्रावधानों के अधीन प्रीमियम भुगतान की विधी में परिवर्तन की अनुमति दी जाती है और पॉलिसी जारी होने के बाद रु. 100/- के विविध प्रभार के अधीन दुर्घटना हितलाभ राइडर प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसकी यूनिट फंड मूल्य में से यथोचित संख्या में यूनिटों को निरस्त कर कटौती की जाएगी और कटौती पॉलिसी में परिवर्तन की तिथि पर की जाएगी। परिवर्तन के साथ या उसके बाद पड़ने वाली पॉलिसी की वर्षगाँठ से परिवर्तन प्रभावी होगा।

निगम अपनी जोखिमांकन नीति के अनुसार पॉलिसी में परिवर्तन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। परिवर्तन निगम द्वारा अनुमोदित किए जाने पर ही प्रभावी होगा और प्रस्तावक/बीमित व्यक्ति को खास तौर से लिखित रूप से सूचित किया जाएगा।

18. ऋण:

इस योजना के अंतर्गत किसी ऋण की अनुमति नहीं होगी।

19. पॉलिसी की समाप्ति:

निम्नलिखित में से किसी भी घटना के होने पर पॉलिसी तत्काल एवं स्वतः समाप्त हो जाएगी:

ए) यदि मृत्यु के लिए निपटान विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वह तिथि जिस पर मृत्यु हितलाभ का भुगतान किया जाता है; या

बी) वह तिथि, जिस दिन पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभ का

निपटान किया जाता है; या

सी) परिपक्वता की तिथि; या

डी) यदि मृत्यु की स्थिति में चुना गया है तो निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्तों के भुगतान पर; या

ई) निपटान विकल्प अवधि आरंभ होने के बाद नामित व्यक्ति/लाभार्थी की मृत्यु पर; या एफ) निःशुल्क अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या

जी) ऊपर अनुच्छेद 13 में निर्दिष्टानुसार अनिवार्य समाप्ति पर; या

एच) ऊपर अनुच्छेद 11 में निर्दिष्टानुसार पॉलिसी बंद होने की स्थिति में; या।

आई) अनुच्छेद 20 में निर्दिष्टानुसार जब्ती की स्थिति में।

20. कुछ स्थितियों में जब्ती:

यह पाए जाने पर कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई है, तो ऐसी हर एक स्थिति में पॉलिसी निरस्त हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

21. कर:

ऐसी बीमा योजनाओं के प्रभारों भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा आरोपित सांविधिक कर, यदि कोई हों, समय–समय पर लागू कर कानूनों और कर की दर के अनुसार होंगे।

भुगतान की गई प्रीमियम (प्रीमियमों) पर आयकर लाभों/निहितार्थों और इस योजना के अंतर्गत देय लाभों के संबंध में, कृपया विवरण के लिए अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

22. निःशुल्क अवलोकन अवधि:

यदि आप पॉलिसी के ''नियमों व शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है, तो आपत्तियों के कारण बताते हुए, पॉलिसी दस्तावेज़ की इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्ति की तिथि, जो भी पहले हो, से 30 दिनों के भीतर हमें पॉलिसी वापस लौटाई जा सकती है। पॉलिसी वापस मिलने पर, निगम पॉलिसी को निरस्त कर देगा, और वापस की जाने वाली राशि इस प्रकार होगी:

अनुरोध प्राप्त होने की तिथि तक की स्थिति के अनुसार यूनिट फंड में यूनिटों का मूल्य

प्लस (जोड़े) आवंटित न की गई प्रीमियम (प्राप्त प्रीमियम से गुणा किए गए आवंटन प्रभार के बराबर)

प्लस (जोड़े) नि:शुल्क अवलोकन का विकल्प चुनने की तिथि से लेकर पॉलिसी माह के अंत तक की शेष अवधि के लिए आनुपातिक मृत्युदर प्रभार और दुर्घटना हितलाभ प्रभार, यदि कोई हो, जिसके लिए संबंधित प्रभार काटे गए हैं

प्लस (जोड़े) उस पर काटे गए कर संबंधी प्रभार

माइनस (घटायें) चिकित्सीय जाँच की वास्तविक लागत (विशेष रिपोर्टें सहित, यदि कोई हो),

माइनस (घटायें) रु. 0.20 प्रति हजार मूल बीमा राशि और दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि, यदि कोई हो, की दर से स्टाम्प प्रभार

23. नामांकन और समनुदेशन:

नामांकन समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार होगा।

समनुदेशन समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार होगा।

24. अपवर्जन:

आत्महत्या खण्ड:

अनुच्छेद 2.ए में उल्लेख किए गए मृत्यु पर देय हितलाभ के प्रावधान के बावजूद, आत्महत्या के कारण मृत्यु होने की स्थिति में दावा भुगतान से संबंधित प्रावधान नीचे निर्दिष्टानुसार शर्तों के अधीन होंगे:

- यदि बीमित व्यक्ति जोखिम आरंभ होने की तिथि या पुनर्चलन की तिथि से 12 महीनों के भीतर आत्महत्या कर लेता है, तो पॉलिसीधारक का नामित व्यक्ति या लाभार्थी मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृत्यु की सूचना दिए जाने की तिथि तक की स्थिति के अनुसार उपलब्ध यूनिट फंड मूल्य का अधिकारी होगा। निगम द्वारा पॉलिसी

के अंतर्गत किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

- मृत्यु की तिथि के बाद वसूल किए गए फंड प्रबंधन प्रभार (एफएमसी) और फंड प्रबंधन प्रभार पर लगाए गए कर के अलावा किसी भी प्रभार और उस पर लगाए गए कर को मृत्यु की सूचना दिए जाने की तिथि तक की स्थिति अनुसार उपलब्ध यूनिट फंड मूल्य में वापस जोड़ दिया जाएगा।
- मृत्यु की तिथि के बाद जोड़ी गई किसी भी निश्चित अभिवृद्धि को यूनिट फंड से वसूल किया जाएगा।

यह खण्ड बीमित व्यक्ति की प्रवेश के समय आयु/पुनर्चलन के समय आयु 8 वर्ष से कम होने की स्थिति में लागू नहीं होगा और अनुच्छेद 2.ए में उल्लेखानुसार मृत्यु हितलाभ देय होगा।

25. हितलाभ का नमूना उदाहरणः

हितलाभ का उदाहरण:

उदाहरण 1:

बीमित व्यक्ति की आयु (वर्षों में)	35
पॉलिसी की अवधि (वर्षों में)	15
प्रीमियम भुगतान की विधि	वार्षिक
प्रीमियम (₹)	60,000
मूल बीमा राशि (₹)	6,00,000
क्रय की विधि	ऑफ़लाइन
फंड का प्रकार	बॉन्ड

योजना के अंतर्गत हितलाभ:

	4% प्रति वर्ष की दर से हितलाभ (₹)	**8% प्रति वर्ष की दर से हितलाभ (₹)**
कुल परिपक्वता हितलाभ (फंड मूल्य)	10,24,189	14,20,867
		शुद्ध प्रतिफल 6.01%

	4% प्रति वर्ष की दर से हितलाभ (₹)	**8% प्रति वर्ष की दर से हितलाभ (₹)**

पॉलिसी अवधि की समाप्ति (वर्ष)	संचयी प्रीमियम (₹)	निश्चित अभि-वृद्धियाँ (₹)	फंड मूल्य (₹)	मृत्यु हितलाभ (₹)	फंड मूल्य (₹)	मृत्यु हितलाभ (₹)
6	3,60,000	3,000	3,60,582	6,00,000	4,13,172	6,00,000
10	6,00,000	6,000	6,36,255	6.36.255	7,92,546	7,92,546
15	9,00,000	9,000	10,24,189	10,24,189	14,20,867	14,20,867

अस्वीकरण

i) यह उदाहरण ऑफलाइन खरीदी गई पॉलिसी के लिए धूम्रपान न करने वाले पुरुष/महिला मानक (चिकित्सीय, जीवन शैली और व्यवसाय की दृष्टि से) जीवन पर लागू होता है, जिसमें एलआईसी के संबंद्ध दुर्घटना मृत्यु हितलाभ राइडर का विकल्प न चुना गया हो।

ii) इस हितलाभ उदाहरण में माना गया है कि प्रतिफल की अनुमानित निवेश दर जो एलआईसी पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान अर्जित कर पाएगा 4% प्रति वर्ष या 8% प्रति वर्ष, जैसा भी मामला हो, होगी। प्रतिफल की अनुमानित निवेश दर निश्चित नहीं है और आपको मिलने वाली राशि की ऊपरी या निचली सीमा नहीं हैं क्योंकि आपकी पॉलिसी का मूल्य भविष्य के निवेश के प्रदर्शन सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।

iii) उपरोक्त उदाहरण 18% की दर से प्रचलित कर प्रभार (जीएसटी) को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जिसमें समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है।

iv) उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पाद की विशेषताओं और कुछ स्तर तक परिमाणीकरण के साथ विभिन्न परिस्थितियों में हितलाभों के प्रवाह को समझ सके।

v) एलआईसी अपने अभिकर्ताओं/मध्यस्थों, कर्मचारियों और अधिकारियों को, सिवाय 4% और 8% की वृद्धि की उपर्युक्त उदाहरणात्मक दर के ''यूलिप''फंड के भविष्य के प्रदर्शन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए अधिकृत नहीं करता है ।

26. शिकायत निवारण प्रणाली:
निगम की:

निगम में ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए शाखा/मण्डल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी (GROs) उपलब्ध हैं। ग्राहक GROs के नाम और शिकायतों से संबंधित

अन्य जानकारियों के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) देख सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने के लिए निगम ने हमारे ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in के ज़रिए ग्राहक–अनुकूल एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली आरंभ की है, जहाँ पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत/परिवाद दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति का पता लगा सकता है। ग्राहक अपनी सभी शिकायतों के निवारण के लिए ई–मेल आईडी co_complaints@ licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावा अस्वीकरण के निर्णय से असंतुष्ट दावेदारों के पास अपने मामलों के पुनरीक्षण के लिए उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति को भेजने का विकल्प है। एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/ज़िला न्यायालय का न्यायाधीश हर दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीआई की:

यदि ग्राहक प्राप्त उत्तर से असंतुष्ट है या उसे 15 दिनों के भीतर हमसे कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो वह निम्नलिखित में से कोई भी तरीका अपनाकर पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकता है:

i. टोल–फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीआई शिकायत कॉल सेंटर–(बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र)) पर कॉल करना

ii. complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भेजना

iii. https://bimabharosa.irdai.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना

iv. कूरियर/पत्र के ज़रिए शिकायत भेजने का पता:

महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे नंबर 115/1, वित्त ज़िला, नानकरामगुडा, गाचीबोवली, हैदराबाद–500032, तेलंगाना।

लोकपाल की:

दावा संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए, दावाकर्ता बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं, जहाँ ग्राहकों को कम से कम खर्च में त्वरित निर्णय मिलता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान संस्करण निम्नानुसार है:

(1) जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी आधार पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, अर्थात पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो।

(2) धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय सवाल उठाया जा सकता है:

बशर्ते कि बीमाकर्ता को लिखित में बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को उन आधारों और तथ्यों के बारे लिखित में सूचित करना होगा, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I– इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए, ''धोखाधडी'' शब्द का मतलब बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए उकसाने की मंशा से किए गए निम्नांकित में से किसी भी कार्य से है:–

(ए) तथ्य के रूप में किसी ऐसे विचार का सुझाव देना जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

(बी) बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना जबकि उसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसकी वास्तविकता का विश्वास हो;

(सी) कोई और कृत्य जो धोखा देने के लिए उपयुक्त हो; और

(डी) ऐसा कोई कृत्य या भूल–चूक जिसे कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी घोषित किया गया हो।

स्पष्टीकरण II– ऐसे तथ्यों के बारे में मात्र मौन रहना जिनसे बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन के प्रभावित होने की संभावना हो, तब तक धोखाधडी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि यदि उन पर ध्यान दिया जाए, तो बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट का यह कर्त्तव्य है कि

वह बोलने से मौन रहे या जब तक कि उसका मौन रहना अपने आप में ही बोलने के समतुल्य न हो।

(3) उपधारा (2) में कोई भी बात शामिल होते हुए भी, कोई बीमाकर्ता धोखाधडी के आधार पर किसी जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकृत नहीं करेगा, यदि बीमाकर्ता यह प्रमाणित कर सकता है कि गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य था या यह कि उस तथ्य को छिपाए जाने की कोई जान बूझ कर मंशा नहीं थी या यह कि गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते कि धोखाधडी की स्थिति में यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है, तो झूठ को गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर होता है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति, जो बीमा के अनुबंध की माँग करता है या बातचीत करता है, वह अनुबंध करने के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का एजेंट समझा जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, इस आधार पर कि बीमाकर्ता के जीवन की प्रत्याशा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के किसी कथन को छिपाने का कथन प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेज़ पर गलत ढंग से किया गया था जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्जीवित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय सवाल उठाया जा सकता है:

बशर्ते कि बीमाकर्ता को लिखित में बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को उन आधारों और तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकृत का ऐसा निर्णय लिया गया है।

बशर्ते महत्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत करने की स्थिति में, न कि धोखाधडी के आधार पर, अस्वीकृत की तारीख तक पॉलिसी पर लिए गए प्रीमियम बीमित व्यक्ति या विधिक प्रतिनिधियों या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को ऐसे अस्वीकृति की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अदा किए जाएँगे।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए तथ्य का मिथ्या

कथन या छिपाया जाना तब तक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाएगा जब तक बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता हो, बीमाकर्ता पर यह प्रमाणित करने का दायित्व है कि यदि बीमाकर्ता उक्त तथ्य से अवगत होता, तो बीमित व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती।.

(5) इस धारा में शामिल कोई भी बात बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का प्रमाण मांगने से रोक नहीं सकेगी यदि वह ऐसा करने का हकदार हो, और किसी भी पॉलिसी को सिर्फ़ इस कारण प्रश्नगत किया गया नहीं समझा जाएगा कि पॉलिसी की शर्तें बाद में यह प्रमाणित किए जाने पर ठीक कर ली गई हैं कि बीमित व्यक्ति की आयु प्रस्ताव में गलत बताई गई थी।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का अनुच्छेद 41): समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियमः

1) कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से जुड़े किसी भी तरह के जोखिम के संबंध में कोई बीमा लेने या नवीकृत करने या जारी रखने हेतु, प्रलोभन के रूप में, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी भी रियायत की अनुमति नहीं देगा या अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं देगा और न ही पॉलिसी लेने या नवीकृत करने या जारी रखने वाला कोई व्यक्ति कोई भी रियायत स्वीकार करेगा, सिवाए उस रियायत के जिसकी अनुमति बीमाकर्ता के प्रकाशित सूचीपत्रों या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।

2) इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि दस लाख रुपये तक हो सकता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएँ जो एलआईसी पर लागू हैं, समय–समय पर किए गए संशोधन के अनुसार लागू होंगी।

इस उत्पाद विवरणिका में इस योजना की केवल मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज़ देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने के लिए कृपया www.licindia.in पर लॉग ऑन करें।

नकली फोन कॉल और फर्जी/धोखाधड़ी वाले प्रस्तावों से सावधान रहें

आईआरडीएआई या इसके अधिकारी बीमा पॉलिसियाँ बेचने, बोनस की घोषणा करने या प्रीमियम का निवेश करने, राशि वापस करने जैसी बीमा व्यवसाय की कोई भी गतिविधि नहीं करते हैं। ऐसे फ़ोन कॉल प्राप्त करने वाले पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों से अनुरोध है कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

''भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1 सितम्बर, 1956 को की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के समस्त बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुँचने और उन्हें बीमित घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से जीवन बीमा का दूर–दूर तक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार करना था। भारतीय बीमा के उदारीकृत परिदृश्य में भी एलआईसी प्रमुख जीवन बीमाकर्ता बना हुआ है और अपने पिछले रिकॉर्ड से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक नए विकास पथ पर तेज़ी से आगे कदम बढ़ा रहा है। छः दशकों से भी ज़्यादा समय से अपने अस्तित्व में, एलआईसी ने परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में दृढ़ता से अपना उत्तरोत्तर विकास किया है।

पंजीकृत कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

केंद्रीय कार्यालय,

योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग,मुंबई – 400021.

वेबसाइट: www.licindia.in

पंजीकरण संख्या: 512